लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

(I.S.O. 9001:2008 एवं I.S.O 14001:2004 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक :— 56/उप निदेशक(उ.)/18 **दिनांक :—05/09/2018**

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

गोमती नगर विस्तार योजना के भाग—1ए के अन्तर्गत जनेश्वर मिश्र पार्क परिसर में गोल्फ कार्ट की व्यवस्था एवं संचालन कार्य हेतु अनुज्ञप्ति आधार पर दिनांक 26.09.2018 को 03.30 बजे तक रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है। प्रस्ताव के साथ 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक एफ0डी0आर0 सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में संलग्न करना होगा।

अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक उप निदेशक (उद्यान) के कार्यालय/www.ldaonline.com प्राधिकरण की वैबसाईट पर देखे जा सकते है।

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

(**I.S.O. 9001:2008** एवं **I.S.O. 14001:2004** द्वारा प्रमाणित संस्था)

जनेश्वर मिश्र पार्क परिसर

में

गोल्फ कार्ट की व्यवस्था एवं संचालन की नियम एवं शर्तो की विवरणिका।

एक सुन्दर शहर.....................हमारा संकल्प

लखनऊ विकास प्राधिकरण

लखनऊ

(**I.S.O. 9001:2008** एवं **I.S.O. 14001:2004** प्रमाणित संस्था)

रूचि की अभिव्यक्ति (**Expression of Intrest**) का आवेदन एवं नियम व शर्ते :–

कार्य का नाम– गोल्फ कार्ट की व्यवस्था एवं संचालन का कार्य।

1. गोल्फ कार्ट के संचालन की अनुज्ञप्ति अवधि 03 वर्ष होगी।
2. अनुज्ञप्तिग्रहिता को रु0 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) मात्र धरोहर राशि एफ0डी0आर0 (जो कि सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक हो) के रुप में जमा करने होगें।
3. प्रस्तावक को आयकर पैन नम्बर, निवास प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र व फोटो पहचान पत्र की प्रति जमा कराना होगा।
4. यह कि इस अनुज्ञप्ति पर जनेश्वर मिश्र पार्क में गोल्फ कार्ट के संचालन का **वार्षिक अनुज्ञप्ति अंशदान प्रत्येक वर्ष अनुज्ञप्ति वर्ष आरम्भ होने से पूर्व जमा करना होगा तथा प्रत्येक वर्ष अंशदान में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। यह विलेख दिनांक .... से दिनांक .... तक 03 वर्ष की अवधि हेतु अनुमन्य होगी, अनुज्ञप्ति शुल्क वर्ष आरम्भ होने से पूर्व अदा न करने पर 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से पैनल ब्याज देय होगा तथा नियमानुसार अनुज्ञप्ति पर पुनर्विचार किया जायेगा।**
5. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गई गोल्फ कार्ट के संचालन की अनुमति अनुज्ञप्ति विलेख के निष्पादन के बाद प्रदान की जायेगी।
6. यह कि अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की अनुमति से लिखित अनुरोध पर उपाध्यक्ष द्वारा विचारोपरान्त अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा। अनुज्ञप्ति नवीनीकरण की अनुमति न प्रदान किये जाने पर अनुज्ञप्तिग्रहिता को गोल्फ कार्ट का संचालन बन्द करना होगा।
7. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गई सम्पत्ति व गोल्फ कार्ट रूट सफाई का पूर्ण दायित्व अनुज्ञप्तिग्रहिता को होगा और अनुज्ञप्ति ग्रहिता अपने खर्च पर आवश्यक व्यवस्था स्वयं करेगा।
8. यह कि अनुज्ञप्तिकर्ता को अनुज्ञप्ति पर दी गई गोल्फ कार्ट के निरीक्षण करने का अधिकार होगा तथा अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा दिये गये सुझाव अनुज्ञप्तिग्रहिता को मान्य होगें।
9. यह कि अनुज्ञप्ति पर दी गई गोल्फ कार्ट एवं उसके अनुरक्षण पर उत्तर प्रदेश सरकार/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित किसी भी प्रकार के शुल्क, कर या अन्य देयता के अदा करने की जिम्मेदारी अनुज्ञप्तिग्रहिता की होगी, अनुज्ञप्तिकर्ता का कोई सम्बंध नही होगा।
10. जनेश्वर मिश्र पार्क में हथियार सहित प्रवेश वर्जित है। संचालक कर्मियों को जनेश्वर मिश्र पार्क के सभी नियम व शर्ते मान्य होगीं।
11. प्रस्ताव स्वीकृति के उपरान्त उच्चतम प्रस्ताव के आधार पर तय धनराशि वार्षिक किस्तों में अग्रिम रुप में जमा करानी होगी।
12. सर्वोच्च प्रस्ताव का 25 प्रतिशत धनराशि तत्समय जमा करनी होगी। प्रथम उच्चतम प्रस्तावक द्वारा 25 प्रतिशत जमा न करने पर उसकी जमानत की धनराशि जब्त करते हुए द्वितीय उच्चतम प्रस्तावक की 25 प्रतिशत धनराशि जमा कराने के लिये निर्देशित किया जायेगा, यदि द्वितीय उच्चतम बोलीदाता द्वारा भी 25 प्रतिशत धनराशि नही जमा की जाती है तो उसकी भी जमानत धनराशि जब्त करते हुए साइकिलिंग व्यवस्था के संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी का चयन किया जायेगा।
13. आयकर प्राविधानों के अनुसार संचालक को उच्चतम प्रस्ताव की धनराशि पर निर्धारित जी0एस0टी0 के रुप में अतिरिक्त जमा करनी होगी। जी0एस0टी0 की देय धनराशि प्रस्ताव स्वीकृति के पश्चात जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ के प्रबंधन संचालन सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के खाता संख्या–50100140756670 एच.डी.एफ.सी. बैंक लि0, हजरतगंज लखनऊ आई.एफ.एस.सी. कोड HDFC0000078 में जमा करानी होगी।
14. अनुज्ञप्ति के सम्बंध में कोई भी विवाद उत्पन्न होने पर उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा लिया गया निर्णय ही अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा।

15. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र लखनऊ होगा।
16. यदि गोल्फ कार्ट की संचालन व्यवस्था अपरिहार्य कारण जिसमें संचालन कर्ता की गलती नहीं है के कारण समाप्त की जाती है तो संचालनकर्ता को शेष अवधि के लिये अनुपातिक धनराशि वापस कर दी जायेगी।
17. प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात संचालनकर्ता को अपने खर्च पर प्राविधानों के अनुसार व प्रदत्त निर्धारित लागू शासनादेशों के अधीन सब रजिस्ट्रार लखनऊ द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार वांछित स्टाम्प पेपर पर एक सप्ताह के अन्दर अनुबन्ध कराना होगा।
18. एजेन्सी अपने अधिकार को किसी भी दशा में किसी अन्य व्यक्ति/एजेन्सी को हस्तान्तरित नही करेगी, ऐसा करने की दशा में अनुज्ञप्ति को निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
19. संचालनकर्ता अथवा उसके कर्मचारीगण किसी भी भ्रमणकर्ता के साथ दुर्व्यवहार नही करेंगें।
20. संचालनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि गोल्फ कार्ट प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूट पर संचालित की जाएगी व प्राधिकरण द्वारा निर्धारित स्थल पर ही इस प्रकार खड़े हो कि भ्रमण करने वाले व्यक्तियों को कोई समस्या न हो।
21. संचालनकर्ता गोल्फ कार्ट से पार्क का भ्रमण करने हेतु रू0 50.00 प्रति व्यक्ति (न्यूनतम 06 व्यक्ति हेतु) एवं पूरे गोल्फ कार्ट को बुक करने पर रू0 300.00 प्रति 1 घण्टा तथा प्रत्येक अतिरिक्त 15 मिनट की देरी हेतु रू0 100.00 की दर जी.एस.टी. सहित धनराशि वसूल कर सकेगा तथा दरों को अंकित करते हुए कूपनों/टोकनों की व्यवस्था करनी होगी। यदि संचालनकर्ता द्वारा इस शर्त का उल्लंघन किया गया तो अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा जमानत की धनराशि जब्त कर ली जोगी और कोई भी आनुपातिक धनराशि आदि वापस नही की जायेगी।
22. उपरोक्त निर्धारित व्यवस्था के अतिरिक्त यदि संचालक एजेन्सी भ्रमणकारियों को कोई अन्य सर्विस देना चाहती है तो उक्त हेतु प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। प्रस्ताव पर नियमानुसार सहमति होने पर ही अनुमति दी जा सकेगी।
23. मा0 सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं स्थानीय न्यायालय द्वारा समय–2 पर दिये गये आदेशों का पालन करना होगा।
24. निर्धारित दरों से अधिक गोल्फ कार्ट व्यवस्था के संचालन शुल्क वसूल किये जाने की दशा में बिना किसी अन्य सूचना के अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जायेगी।
25. संचालक को दरों के सम्बंध में स्थल पर सूचना पट जिसमें एक प्रवेश द्वार पर तथा एक निकास द्वार पर एवं कंट्रोल रुम पर लगवाना होगा तथा मौके पर शिकायत एवं सुझाव पुस्तिका रखनी होगी व उसकी उपलब्धता की सूचना के सम्बंध में सूचना पट पर अंकित करना होगा।
26. गोल्फ कार्ट व्यवस्था के संचालन पर कार्यरत कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस में (ड्रेस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जायेगी) नेम प्लेट एवं आई कार्ड सहित ड्यूटी पर उपस्थित रहना होगा। कर्मचारियों की एक सूची नाम व पते सहित मौके पर रखनी होगी तथा उसकी एक प्रति कार्यालय को भी उपलब्ध करानी होगी। कर्मचारी द्वारा की गई लापरवाही के दण्ड का उत्तरदायित्व संचालक एजेन्सी का होगा।
27. स्थल पर टिकट केबिन, सूचना पट आदि की व्यवस्था एवं रख–रखाव का दायित्व कार्यरत एजेन्सी का होगा एवं उसमें होने वाली किसी क्षति पूर्ति प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाएगी।
28. प्राधिकरण, जिला प्रशासन, नगर निगम, प्रेस, विकलांग भ्रमणार्थियों को अपना आई.डी. कार्ड दिखाने पर 50 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
29. गोल्फ कार्ट व्यवस्था के संचालन में सभी कर्मी 18 वर्ष से अधिक तथा 45 वर्ष से कम आये के निरोगी एवं स्वस्थ हों तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Labour Act.) ई0एस0आई0, पी0एफ0 व इन्श्योरेन्स आदि की जिम्मेदारी संचालनकर्ता की होगी।
30. गोल्फ कार्ट व्यवस्था का संचालन एजेन्सी को जनेश्वर मिश्र पार्क के नियम एवं विनियमों के अनुरुप करना होगा।
31. संचालक एजेन्सी को नियमानुसार बीमा कराना अनिवार्य होगा तथा किसी भी दुर्घटना के लिये संचालक एजेन्सी स्वयं जिम्मेदार होगी।
32. संचालक एजेन्सी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि संचालन व्यवस्था में लगाये कर्मी पूर्व में भी किसी प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त नही हैं तथा चरित्रवान हैं।
33. जनेश्वर मिश्र पार्क में संचालित गोल्फ कार्ट का बीमा अनुज्ञप्तिकर्ता को स्वयं के व्यय पर कराना

होगा, तथा कोई भी गोल्फ कार्ट प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के बिना पार्क के बाहर ले जाना मना है। ऐसा पाये जाने पर अनुज्ञप्ति को निरस्त करते हुए जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

34. सभी गोल्फ कार्ट पर लखनऊ विकास प्राधिकरण का लोगो तथा नाम उल्लिखित होना अनिवार्य होगा।

35. लखनऊ विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के क्रम में निरीक्षण/विशिष्ट अतिथिगण हेतु आवश्यकतानुसार तुरन्त गोल्फ कार्ट विशिष्ठ सुविधाओं के साथ निःशुल्क उपलब्ध कराना होगा।

36. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी एक शर्त का उल्लंघन होने की दशा में जमा धनराशि को जब्त करते हुए अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जायेगी तथा गोल्फ कार्ट व्यवस्था के संचालन हेतु पुनः नई एजेन्सी के चयन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। ऐसी दशा में एजेन्सी को कोई क्षतिपूर्ति व मुआवजा देय नही होगा।

37. अनुज्ञप्तिग्रहिता को वर्तमान में 05 नग गोल्फ कार्ट जैसी है, जहॉ है के आधार पर एजेन्सी को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी, जिसका रख–रखाव, संचालक, साफ–सफाई एवं रिपेयर अनुज्ञप्तिग्रहिता को अपने व्यय पर स्वयं करना होगा तथा गोल्फ कार्टो की संख्या में वृद्धि अनुज्ञप्तिग्राहिता स्वयं अपने व्यय पर कर सकते है जिसकी प्रतिपूर्ति प्राधिकरण द्वारा नहीं की जाएगी। अनुज्ञप्ति अवधि समाप्त होने पर उपलब्ध करायी जाने वाली 05 गोल्फ कार्ट को सन्तोषजनक अवस्था में प्राधिकरण को वापस करनी होगी।

38. पार्क में गोल्फ कार्ट का संचालन ग्रीष्म ऋतु में प्रातः 7.30 से सायं 8 बजे तथा शरद ऋतु में प्रातः 8.00 बजे से सायं 7.00 बजे तक ही संचालित की जाएगी।

39. पार्क में गोल्फ कार्ट के चार्जिंग पर होने वाला विद्युत व्यय अनुज्ञप्तिकर्ता द्वारा प्राधिकरण को देय होगा।

(एस0पी0 शिशौदिया)
उप निदेशक (उद्यान)

उपरोक्त गोल्फ कार्ट संचालन हेतु मैने 1 से 29 तक सभी शर्तो को पढ़ लिया है और सुन एवं समझ लिया है और पूरी जानकारी के साथ अपना ऑफर ₹.................................. शब्दो में .... प्रति वर्ष की दर से प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा प्राधिकरण के नियमों का पालन करने का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर बिडदाता
नाम–
दूरभाष संख्या–

लखनऊ विकास प्राधिकरण

(ISO 14001 : 2004, ISO 9001 : 2008 प्रमाणित संस्था)
प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (उ.प्र.) Ph.: 2302566
टोल फ्री: 1800–1800–5000, वेबसाईट: "http://www.ldaonline.in"

सख्या: 56/उप निदेशक(उ.)/18 दिनांक: 05/09/2018

रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest)

गोमती नगर विस्तार योजना के भाग–1ए के अन्तर्गत जनेश्वर मिश्र पार्क परिसर में गोल्फ कार्ट की व्यवस्था एवं संचालन कार्य हेतु अनुज्ञप्ति आधार पर दिनांक 26.09.2018 को 03.30 बजे तक रूचि की अभिव्यक्ति (Expression of Interest) प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। प्रस्ताव के साथ 2,50,000.00 (दो लाख पचास हजार) मात्र का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक एफ0डी0आर0 सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में सलंग्न करना होगा।

अनुज्ञप्ति से सम्बन्धित नियम व शर्ते किसी भी कार्य दिवस में प्रात: 10.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे तक उप निदेशक (उद्यान) के कार्यालय / www.ldaonline.com प्राधिकरण की वेबसाईट पर देखे जा सकते हैं।

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ